

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 जून 2022—ज्येष्ठ 18, शक 1944

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

अधिसूचना क्र.....74...../एफ 1-62/2020/18-3 मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद पिपरई जिला अशोकनगर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचना क्रमांक 314 एफ 1-62/2020/18-3 दिनांक 28.10.2020 के द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये नगर परिषद पिपरई जिला अशोकनगर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	वार्ड क्रमांक 04 - अम्बेडकर वार्ड वार्ड क्रमांक 05 - भगतसिंह वार्ड वार्ड क्रमांक 12 - शिवाजी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	वार्ड क्रमांक 08 - विवेकानंद वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	वार्ड क्रमांक 03 - डॉ अब्दुल कलाम वार्ड वार्ड क्रमांक 13 - लोकमान्य तिलक वार्ड वार्ड क्रमांक 15 - गुरु गोविन्दसिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	वार्ड क्रमांक 04 - अम्बेडकर वार्ड वार्ड क्रमांक 05 - भगतसिंह वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	-	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	वार्ड क्रमांक 03 - डॉ अब्दुल कलाम वार्ड वार्ड क्रमांक 15 - गुरु गोविन्दसिंह वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा आरक्षित वार्ड	04	वार्ड क्रमांक 01 - महात्मा गांधी वार्ड वार्ड क्रमांक 02 - सुभाष चंद्र वार्ड वार्ड क्रमांक 06 - चन्द्रशेखर वार्ड वार्ड क्रमांक 09 - सरदार पटेल वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्रमांक एफ 1-62-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 74-एफ 1-62-2020-अठारह-3, दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 8th June 2022

(Revised Notification)

Notification No.....7.4.....F 1- 62/2020/18-3 In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of ward for Nagar Parishad Piprai District Ashoknagar was published vide notification No 314 F 1-62/2020/18-3 Dated 28.10.2020

In compliance of the order of the Hon'ble Supreme Court in WP(Civil) 278/2022, the notification as above, with respect to reservation of wards of Nagar Parishad Piprai District Ashoknagar in published as under:-

No.	Reserved ward of Category	Total Reserve d Ward's	Reserved wards Name and Number
(1)	(2)	(3)	(4)
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	03	Ward No. 04 - Ambedkar ward Ward No. 05 - Bhagat Singh ward Ward No. 12 - Shivaji ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	Ward No. 08 Vivekananda ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	03	Ward No. 03 - Dr Abdul Kalam ward Ward No. 13 - Lokmanya Tilak ward Ward No. 15 - Guru Gobind Singh ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	Ward No. 04 - Ambedkar ward Ward No. 05 - Bhagat Singh ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	-	Nil
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	Ward No. 03 - Dr Abdul Kalam ward Ward No. 15 - Guru Gobind Singh ward
7	No. of wards Reserved for (Other from S.No. 4, 5 & 6) Women	04	Ward No. 01 - Mahatma Gandhi ward Ward No. 02 - Subhash Chandra ward Ward No. 06 - Chandrashekhar ward Ward No. 09 - Sardar Patel ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

अधिसूचना क्र.-- 74 एफ 1-215-/2020/18-3-मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एव महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम -7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद मोहना जिला ग्वालियर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचना क्रमांक 125 एफ 01-215-2020-अठारह-3 दिनांक 24-9-2020 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये नगर परिषद मोहना जिला ग्वालियर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 06 शहीद भगत सिंह वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 07 महार्षि बाल्मीकि वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 01 डॉ० भीमराव अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 15 गुरु नानक वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्रमांक 03 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 09 रानी अहिल्याबाई वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 14 रानी झलकारी बाई वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 06 शहीद भगत सिंह वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 01 डॉ० भीमराव अम्बेडकर वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 03 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 09 रानी अहिल्याबाई वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्रमांक 02 स्वामी विवेकानन्द वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 11 महात्मा गाँधी वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 12 सन्त कबीर वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 13 पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्रमांक एफ 1-215-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 74-एफ 1-215-2020-अठारह-3, दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 8th June 2022

(Revised Notification)

Not-No. 74 .F1-215/2020 /18-3, In exercise of the powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of ward for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of ward for **Nagar Parishad Mohana District Gwalior** was published vide notification No 125.... F-01-215-2020-XVIII-3 Dated 24-09-2020

In compliance of the order of honorable Supreme Court in WP (Civil) 278/2022, the notification as above, with respect to reservation of wards of **Nagar Parishad Mohana District Gwalior** is published as under:-

No.	Reserved wards for Category	Total ward	Reserved ward's Name and Number
1	No. of ward Reserved for schedule Caste	02	(1) Ward No. 06 Shaheed Bhagat Singh Ward (2) Ward No. 07 Maharishi Valmiki Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	02	(1) Ward No. 01 Dr. Bhim Rao Ambedkar Ward (2) Ward No. 15 Guru Nanak Ward
3	No. of ward Reserved for other Backward Caste	03	(1) Ward No. 03 Rani Laxmibai Ward (2) Ward No. 09 Rani Ahilyabai Ward (3) Ward No. 14 Rani Jhalkari Bai Ward
4	No. of ward Reserved for schedule Cast's (Women)	01	(1) Ward No. 06 Shaheed Bhagat Singh Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	01	(1) Ward No. 01 Dr. Bhim Rao Ambedkar Ward
6	No. of ward Reserved for other Backward Caste (Women)	02	(1) Ward No. 03 Rani Laxmibai Ward (2) Ward No. 09 Rani Ahilyabai Ward
7	No. of ward Reserved for (other from S.No. 4, 5 & 6) (Women)	04	(1) Ward No. 02 Swami Vivekanand Ward (2) Ward No. 11 Mahatma Gandhi Ward (3) Ward No. 12 Sant Kabir Ward (4) Ward No. 13 Pandit Dindayal Upadhyay Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

अधिसूचना क्रमांक 74.....एफ 01-347/2020/18-3, मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद रन्नौद जिला शिवपुरी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचना क्रमांक 334 एफ 01-347/2020/18-3 दिनांक 06/11/2020 के द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये नगर परिषद रन्नौद जिला शिवपुरी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है—

क्र.	वर्ग जिसके लिये वार्ड आरक्षित किया गया है	आरक्षित वार्ड की संख्या	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	वार्ड न. 02 स्वामी विवेकानंद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	वार्ड न. 13 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड वार्ड न. 14 डॉ. अम्बेडकर वार्ड वार्ड न. 15 कबीर वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	वार्ड न. 05 खोखईमठ वार्ड वार्ड न. 10 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	—	—
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	वार्ड न. 13 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड वार्ड न. 14 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	वार्ड न. 10 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए उक्त सरल क्रमांक 05, 06 व 07 के अलावा आरक्षित वार्ड	05	वार्ड न. 03 भगत सिंह वार्ड वार्ड न. 04 आजाद वार्ड वार्ड न. 07 टैगोर वार्ड वार्ड न. 08 सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड वार्ड न. 11 संत विनोबाभावे वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

अधिसूचना क्र. 1-347-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 74-एफ 1-347-2020-अठारह-3, दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 8th June 2022
(Revised Notification)

Not. NoF 1-347/2020-18-3, Date 06 November 2020, In exercise of Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of ward for Nagar Parishad Rannod District Shivpuri was published vide notification No 334 F 1-347/2020-18-3, Date 06-11-2020

In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (civil) 278/2022, the notification as above, with respect to reservation of wards of Nagar Parishad Rannod District Shivpuri is published as under-

No.	Reserved ward for category	Total Reserved Ward's	Reserved wards name and Number
(1)	(2)	(3)	(4)
1	No. of wards Reserved for Schedule caste	01	Ward No 02, Swami Vevekanand Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	03	Ward No 13, Maharani laxmi bai Ward Ward No 14, Dr. Ambedkar Ward Ward No 15, Kabeer Ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Classes	02	Ward No 05 Khokhai Math Ward Ward No 10 Dr. Rajendra Prashad Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule caste's (women)	-	-
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (women)	02	Ward No 13, Maharani laxmi bai Ward Ward No 14, Dr. Ambedkar Ward
6	No. of wards Reserved for other Backward Classes (women)	01	Ward No 10 Dr. Rajendra Prashad Ward
7	No. of wards Reserved for (other from s.no. 05, 06 & 07) women	05	Ward No 03 Bhagat Singh Ward Ward No 04 Ajad Ward Ward No 07 Taigor Ward Ward No 08 Sardar Vallabh Bhai Patel Ward Ward No 11 Sant Vinovabhawe Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

अधिसूचना क्र. 74 एफ-01-345-2020-18-3, मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद पोहरी जिला शिवपुरी के लिये आरक्षित वार्डों की अधिसूचना क्रमांक 332, एफ-01-345-2020-18-3 दिनांक 06.11.2020 के द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये नगर परिषद पोहरी जिला शिवपुरी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र	वर्ग जिसके लिये वार्ड आरक्षित किय गया है	आरक्षित वार्ड संख्या	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	वार्ड नं. 03 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड वार्ड नं. 06 संत कबीर वार्ड वार्ड नं. 12 पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
2.	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	वार्ड नं. 04 डॉ. अम्बेडकर वार्ड वार्ड नं. 13 महात्मा ज्योतिबा फुले वार्ड
3.	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	वार्ड नं. 14 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड वार्ड नं. 15 भगत सिंह वार्ड
4.	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	वार्ड नं. 06 संत कबीर वार्ड वार्ड नं. 12 पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
5.	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	वार्ड नं. 13 महात्मा ज्योतिबा फुले वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	वार्ड नं. 15 भगत सिंह वार्ड
7.	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए उक्त सरल क्रमांक 4,5 व 6 के अलावा आरक्षित वार्ड	04	वार्ड नं. 01 महात्मा गांधी वार्ड वार्ड नं. 05 पं. गोपालकृष्ण वार्ड वार्ड नं. 07 मुरली मनोहर मंदिर वार्ड वार्ड नं. 08 डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्रमांक एफ 1-345-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 74-एफ 1-345-2020-अठारह-3, दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 8th June 2022

(Revised Notification)

Not. No.74..... F1-01-345-2022-18-3, In exercise of the powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for schedule caste, schedule Tribe, other Backward classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of ward for **Nagar Parishad Pohari, District Shivpuri** was published vide notification No 332, F1-01-345-2022-18-3, Date 06-11-2020

In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (civil) 278/2022, the notification as above, with respect to reservation of words of **Nagar Parishad Pohari, District Shivpuri** is published as under -

No	Reserved ward for category	Total Reserved Ward's	Reserved wards name and Number
(1)	(2)	(3)	(4)
1	No. of wards Reserved for Schedule caste	03	Ward no. 03, sardar vallabhbhai patel ward Ward no. 06, sant Kabir ward Ward no. 12, pandit ravindra nath tagore ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	02	Ward no. 04, dr. ambedkar Ward Ward no. 13, mahatma jyotiba phule ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Classes	02	Ward no. 14, Lal bhadur shastri ward Ward no. 15, Bhagat singh ward
4	No. of wards Reserved for Schedule caste's (women)	02	Ward no. 06, sant Kabir ward Ward no. 12, pandit ravindra nath tagore ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (women)	01	Ward no. 13, mahatma jyotiba phule ward
6	No. of wards Reserved for other Backward Classes (women)	01	Ward no. 15, Bhagat singh ward
7	No. of wards Reserved for (other from s.no. 4,5,&6) women	04	Ward no. 01, Mhatma Gandhi ward Ward no. 05, P. Gopal Krishna ward Ward no. 07, Murli manohar mandir ward Ward no. 08, Dr. A.P.J. Abdul kalam ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

अधिसूचना क्रमांक.....74.....एफ-01-344-2020-18-3, मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के प्रम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद मगरौनी, जिला शिवपुरी के लिये आरक्षित वार्डों की अधिसूचना क्रमांक 331, एफ-01-344-2020-18-3, दिनांक 06.11.2020 के द्वारा प्रकाशित की गयी

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश क्रमांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये नगर परिषद मगरौनी, जिला शिवपुरी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है	आरक्षित वार्डों की संख्या	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड	02	1. वार्ड क.04, डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 2. वार्ड क.12, गौतम बुद्ध वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड	01	1. वार्ड क. 03 पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड	04	1. वार्ड क. 01 इंदिरा गांधी वार्ड 2. वार्ड क. 02 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 3. वार्ड क. 07 महाराजा अग्रसेन वार्ड 4. वार्ड क. 08 भगवान महावीर वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	1. वार्ड क.04, डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	1. वार्ड क. 02 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 2. वार्ड क. 08 भगवान महावीर वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए उक्त सरल क्रमांक 4,5,6 के अलावा आरक्षित वार्ड	04	1. वार्ड क. 05 महाराणा प्रताप वार्ड 2. वार्ड क. 06 भगवान परशुराम वार्ड 3. वार्ड क. 11 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 4. वार्ड क. 13 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्रमांक एफ 1-344-2020-अठारह-3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 74-एफ 1-344-2020-अठारह-3, दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 8th June 2022

(Revised Notification)

Not. No 74 F 01-344-2020-18-3, Date 06 November 2020 in exercise of the powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for schedule caste, schedule Tribe, other Backward classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of ward for **Nagar Parishad Magroni, District Shivpuri** was published vide notification No 331, F 01-344-2020-18-3 Date 06-11-2020

In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (civil) 278/2022, the notification as above, with respect to reservation of words of **Nagar Parishad Magroni, District Shivpuri** is published as under -

No.	Reserved ward for category	Total Reserved Ward's	Reserved wards name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule caste	02	1. Ward No. 04, Dr. Bhimrav Ambedkar Ward 2. Ward No. 12, Gautam Bhudha Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	1. Ward No. 03, Pt. Jawaharlal Nehru Ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Classes	04	1. Ward No. 01, Indira Gandhi Ward 2. Ward No. 02, Netaji Subhash Chandra Bose Ward 3. Ward No. 07, Maharaja Agrasen Ward 4. Ward No. 08, Bhagwan Mahaveer Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule caste's (women)	01	1. Ward No. 04, Bhimrao Ambedkar Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (women)	Nil	Nil
6	No. of wards Reserved for other Backward Classes (women)	02	1. Ward No. 02, Netaji Subhash Chandra Bose Ward 2. Ward No. 08, Bhagwan Mahaveer Ward
7	No. of wards Reserved for (other from s.no. 4,5,& 6) women	04	1. Ward No. 05, Maharana Pratap Ward 2. Ward No. 06, Bhagwan Parshuram Ward 3. Ward No. 11, Rabindranath Tagore Ward 4. Ward No. 13, Lal Bahadur Shastri Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022
(संशोधित अधिसूचना)

अधिसूचना क्र०...74...एफ-1-397/2020/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद बकहों जिला शहडोल के लिये आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचना क्रमांक 427-एफ-1-397-2020/18-3 भोपाल दिनांक 19 नवम्बर 2020 को प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दि० 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये नगर परिषद बकहों जिला शहडोल के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र०	वर्ग जिसके लिये आरक्षित किया गया है	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	वार्ड क्रमांक 03 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	वार्ड क्रमांक 02 बिरसामुण्डा वार्ड वार्ड क्रमांक 05 विवेकानन्द वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	04	वार्ड क्रमांक 15 इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 01 अब्दुल कलाम वार्ड वार्ड क्रमांक 08 महात्मा गांधी वार्ड वार्ड क्रमांक 10 पण्डित दीनदयाल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	वार्ड क्रमांक 05 विवेकानन्द वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	वार्ड क्रमांक 01 अब्दुल कलाम वार्ड वार्ड क्रमांक 08 महात्मा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये उक्त सरल क्रमांक 5 एवं 6 के अलावा आरक्षित कुल वार्ड	04	वार्ड क्र० 11 राममनोहर लोहिया वार्ड वार्ड क्र० 12 चन्द्रशेखर वार्ड वार्ड क्र० 13 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड वार्ड क्र० 14 राजीव गांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्रमांक एफ 1-397-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 74-एफ 1-397-2020-अठारह-3, दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 8th June 2022

(Revised Notification)

Not.No. ~~74~~..... F-1-397/2020/18-3, In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for municipal council Nagar Parishad Bakho district Shahdol was published vide Notification No. 427 - F-1-/397-2020/18-3 Date 19 November 2020

In Compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil)278/2022 the Notification as above, with respect to Reservation of wards of municipal council Nagar Parishad Bakho district Shahdol is published as Under :-

S.No	Reservation Category	Total ward	Name of Sl. No. of Reserve Ward
1	2	3	4
1	Total Reserve Ward for Sc	01	Ward No. 3 Dr. Bheemrao Ambedkar Ward
2	Total Reserve Ward for ST	02	Ward No. 2 Birshamunda Ward Ward No. 5 Vivekanand Ward
3	Total Reserve Ward for OBC	04	Ward No. 15 Indira Gandhi Ward Ward No. 01 Abdul Kalam Ward Ward No. 08 Mahatma Gandhi Ward Ward No. 10 Pandit Deendayal Ward
4	Total Reserve Ward for SC Women	NIL	NIL
5	Total Reserve Ward for ST Women	01	Ward No. 5 Vivekanand Ward
6	Total Reserve Ward for OBC Women	02	Ward No. 01 Abdul Kalam Ward Ward No. 08 Mahatma Gandhi Ward
7	Total Reserve Ward for Women (other all reserve ward above sl.no. 5&6)	04	Ward No.11 Ram Manohar Lohiya Ward Ward No.12 Chandra shekher Ward Ward No.13 Rajendra Prashad Ward Ward No.14 Rajeev Gandhi Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022
(संशोधित अधिसूचना)

अधिसूचना क्रमांक 74 एफ 01-415/2020/18-3 मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद मालनपुर, जिला भिण्ड के लिए आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचना क्रमांक 462 एफ 01-415/2020/18-3 दिनांक 04.12.2020 के द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये नगर परिषद मालनपुर, जिला भिण्ड के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र०	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	06	(1) वार्ड क्र० 04, हरीराम की कुईया वार्ड (2) वार्ड क्र० 05, अम्बेडकर वार्ड (3) वार्ड क्र० 07, महात्मा फुले वार्ड (4) वार्ड क्र० 08, संत रविदास वार्ड (5) वार्ड क्र० 10, समता नगर वार्ड (6) वार्ड क्र० 11, मौलाना आजाद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र० 15, भगत सिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र० 04, हरीराम की कुईया वार्ड (2) वार्ड क्र० 07, महात्मा फुले वार्ड (3) वार्ड क्र० 11, मौलाना आजाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
7	आरक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र० 03, खुमान सिंह वार्ड (2) वार्ड क्र० 12, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड (3) वार्ड क्र० 13, स्वामी विवेकानन्द वार्ड (4) वार्ड क्र० 14, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्रमांक एफ 1-415-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 74-एफ 1-415-2020-अठारह-3, दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 8th June 2022

(Revised Notification)

Not. No. 74 F1-415/2020/18-3, In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other, Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for **Nagar Parishad Malanpur, District Bhind** was published vide notification No 462, F1-415/2020/18-3 Dated 04.12.2020.

In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) 278/2022, the notification as above, with respect to reservation of wards of **Nagar Parishad Malanpur, District Bhind** is published as under:-

No.	Reserved Ward for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Wards Name and Number
(1)	(2)	(3)	(4)
1	No. of Wards Reserved for Schedule Caste	06	(1) Ward No. 04 – Hariram ki Kuiya Ward (2) Ward No. 05 – Ambedkar Ward (3) Ward No. 07 – Mahatma Phule Ward (4) Ward No. 08 – Saint ravidas Ward (5) Ward No. 10 – Samta Nagar Ward (6) Ward No. 11 – Maulana Azad Ward
2	No. of Wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of Wards Reserved for Other Backward Caste	01	(1) Ward No. 15 – Bhagat Singh Ward
4	No. of Wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	03	(1) Ward No. 04 – Hariram ki Kuiya Ward (2) Ward No. 07 – Mahatma Phule Ward (3) Ward No. 11 – Maulana Azad Ward
5	No. of Wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Wards Reserved for Other Backward Caste's (Women)	Nil	Nil
7	No. of Wards Reserved for (other from S.No. 4,5 & 6) Women	04	(1) Ward No. 03 – Khuman Singh Ward (2) Ward No. 12 – Dr. Rajendra Prasad Ward (3) Ward No. 13 – Swami Vivekananda Ward (4) Ward No. 14 – Chandrashekhar Azad Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

अधि. क्र. 74 एफ 1- 303 /2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम -7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद मधुसूदनगढ़ जिला गुना के लिये आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचना क्रमांक 402-एफ-01-303-2020-अठारह-3 दिनांक 10.11 2020 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुए नगर परिषद मधुसूदनगढ़ जिला गुना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है -

क्र	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 05 स्वामी विवेकानंद वार्ड (2) वार्ड क्र0 11 लाला लाजपतराय वार्ड (3) वार्ड क्र0 13 स्वामी दयानन्द सरस्वती वार्ड (4) वार्ड क्र0 14 बाल गंगाधर तिलक वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 02 शहीद भगतसिंह वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 09 रानी दुर्गावती वार्ड (2) वार्ड क्र0 12 महात्मा गाँधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 11 लाला लाजपतराय वार्ड (2) वार्ड क्र0 13 स्वामी दयानन्द सरस्वती वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 09 रानी दुर्गावती वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 01 चन्द्र शेखर आजाद वार्ड (2) वार्ड क्र0 03 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड (3) वार्ड क्र0 04 महाराणा प्रताप वार्ड (4) वार्ड क्र0 10 राजा हरीशचन्द्र वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्रमांक एफ 1-303-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 74-एफ 1-303-2020-अठारह-3, दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 8th June 2022

(Revised Notification)

Not. No 74 F1-303/2020/18-3, In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Madhusudangarh, District Guna was published vide notification no. 402-F-01-303-2020-XVIII-3 Dated 10 November 2020.

In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) 278/2022, the notification as above, with Respect to reservation of Wards of Nagar Parishad Madhusudangarh Distt. Guna is published as under:-

No.	Reserved wards for Category	Total wards	Reserved ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	04	(1) Ward No. 05 Swami Vivekanand Ward (2) Ward No. 11 Lala Lajpat Rai Ward (3) Ward No 13 Swami Dayanand Saraswati Ward (4) Ward No 14 Bal Gangadhar Tilak Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No 02 Shaheed BhagatSingh Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Caste	02	(1) Ward No. 09 Rani Durgawati Ward (2) Ward No. 12 Mahatma Gandhi Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 11 Lala Lajpat Rai Ward (2) Ward No. 13 Swami Dayanand Saraswati Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of wards Reserved for Other Backward Caste (Women)	01	(1) Ward No. 09 Rani Durgawati Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	04	(1) Ward No. 01 ChandraShekhar azad Ward (2) Ward No. 03 Subhashchndra Bose Ward (3) Ward No. 04 Maharana Pratap Ward (4) Ward No. 10 Raja Harishchandra Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

अधिसूचना क्र. 74 एफ 1-365/2020/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद डोला, जिला अनूपपुर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचना क्रमांक 456 एफ 1-365/2020/18-3 भोपाल दिनांक 02 दिसम्बर 2020 को प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दि. 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संसोधन करते हुये नगर परिषद डोला, जिला अनूपपुर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्रमांक	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
1	2	3	4
1.	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	वार्ड क्र0-12, अयोध्या नगर वार्ड
2.	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	वार्ड क्र0-02, भगत सिंह वार्ड वार्ड क्र0-06, बाल गंगाधर तिलक वार्ड वार्ड क्र0-08, विरसा मुण्डा वार्ड वार्ड क्र0-10, कुशाभाऊ टाकरे वार्ड वार्ड क्र0-11, डा0 ए.पी.जे.अब्दुल कलाम वार्ड वार्ड क्र0-15, महाराणा प्रताप वार्ड
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	0	---
4.	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	0	---
5.	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	वार्ड क्र0-02, भगत सिंह वार्ड वार्ड क्र0-06, बाल गंगाधर तिलक वार्ड वार्ड क्र0-11, डा0 ए.पी.जे.अब्दुल कलाम वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	0	---
7.	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्र. 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड	04	वार्ड क्र0-03 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड वार्ड क्र0-04 डा0 भीमराव अम्बेडकर वार्ड वार्ड क्र0-05 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड वार्ड क्र0-14 श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्रमांक एफ 1-365-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 74-एफ 1-365-2020-अठारह-3, दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 8th June 2022

(Revised Notification)

Not.No. **74** F 1-365/2020/18-3, In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for **municipal council Dola** District Anuppur was published vide Notification No. 456 F 1-366/2020/18-3 Date 02 December 2020

In Compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil)278/2022 the Notification as above, with respect to Reservation of wards of **municipal council Dola** District Anuppur is published as Under :-

S. No.	Reservation Category	Total Ward	Name and S. No. of Reserev ward
1	2	3	4
1	Total Reserev ward for SC	01	12- Ayodhya Nagar Ward.
2	Total Reserev ward for ST	06	02- Bhagat singh Ward. 06-Bal Gangadhar tilak Ward. 08-Birsa munda Ward. 10-Kushabhau Thakare Ward. 11-Dr. A.P.J. Abdul kalam Ward. 15-Maharana pratap Ward.
3	Total Reserev ward for OBC	0	NIL
4	Total Reserev ward for SC Woman	0	NIL
5	Total Reserev ward for ST Woman	03	02- Bhagat singh Ward. 06-Bal Gangadhar tilak Ward. 11-Dr. A.P.J. Abdul kalam Ward.
6	Total Reserev ward for OBC Woman	0	NIL
7	Total Reserev ward for Woman (Other all Reserve ward above Sl. No. 4,5,6)	04	03-Chandra shekhar Azad Ward. 04-Dr. Bheemrao Ambedakar Ward. 05-Sardar Ballabh Bhai patel Ward. 14-Shyama prasad mukharji Ward.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022
(संशोधित अधिसूचना)

अधिसूचना क्रमांक-.....74.....एफ-1-408/2020-18-3- मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद ठीकरी, जिला बड़वानी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचना क्र. 445- एफ-1-408/2020-18-3, दिनांक 28-11-2020 के द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्र 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुए नगर परिषद ठीकरी, जिला बड़वानी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है -

क्र	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 5 - लोकमान्य तिलक वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 14- लाल बहादुर
2	अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 1 - महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 12 - डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	(1) वार्ड क्रमांक 10 - बाल मकुंद वेध वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 11 - बाल गंगाधर तिलक वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 15 - नेताजी सुभाषचंद्र वार्ड
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाती की महिलाओं के लिये 50 % आरक्षित वार्ड	1	(1) वार्ड क्रमांक 5 - लोकमान्य तिलक वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाती की महिलाओं के लिये 50 % आरक्षित वार्ड	1	(1) वार्ड क्रमांक 1 - महात्मा गांधी वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये 50 % आरक्षित वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 11 - बाल गंगाधर तिलक वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 15 - नेताजी सुभाषचंद्र वार्ड
7	आनारक्षित वार्डों में से महिलाओं के लिये उक्त सरल क्रमांक (4,5, व 6) के आलावा आरक्षित वार्ड	4	(1) वार्ड क्रमांक 2 - लालालाजपत राय वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 4 - वीर सावरकर वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 6 - अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 8 - डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्रमांक एफ 1-408-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 74-एफ 1-408-2020-अठारह-3, दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 8th June 2022
(Revised Notification)

Not. No. 74.F-1-408/2020/18-3, In Exercise of the power coffered by rule 7 of the Madhya pradesh Municipalities (Reservation of ward for schedule caste. schedule trivel other backward cast and women) of rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Prishad Thikri district barwani was published wide notification number 445-F-1-408/2020/18-3, dated 28-11-2020.

In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) 278/2022, the notification as above, with respect to Reservation of wards of Nagar Prishad Thikri district barwani is published as under.

No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward' name and Number
1	No. Of wards Reserved for schedule caste	2	(1) Ward No 5-Lokmanya Tilak Ward (2) ward No 14- Lal Bahadur Shastri Ward
2	No. Of wards Reserved for schedule Tribal	2	(1) Ward No 1-Mahatma Gandhi Ward (2) Ward No 12- Dr. Ambedkar Ward
3	No. Of wards Reserved for Backward caste	3	(1) Ward No 10 - Bal MakundVedya Ward (2) Ward No 11 - Bal Gangadhar Tilak Ward (3) Ward No 15 -Subhaschandra Boss Ward
4	No. Of wards Reserved for schedule caste (Women)	1	(1) Ward No 5-Lokmanya Tilak Ward
5	No. Of wards Reserved for schedule Tribal (Women)	1	(1) Ward No 1-Mahatma Gandhi Ward
6	No. Of wards Reserved for Backward caste (Women)	2	(1) Ward No 11 - Bal Gangadhar Tilak Ward (2) Ward No 15 -Subhaschandra Boss Ward
7	No. Of wards Reserved for (Other From S No.- 4, 5, & 6) Women	4	(1) Ward No 2- Lala Lajpat ray Ward (2) Ward No 4- Veer Sawarkar Ward (3) Ward No 6- Atal Bihari Wajpeyi Ward (4) Ward No 8- Dr. ShyamaprasadMukharji Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

अधि क्र- २५ एफ 1-154/2020/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका परिषद् गढ़ाकोटा, जिला सागर के लिये आरक्षित वार्डों की अधिसूचना क्र 143-एफ-01-154-2020-अटारह-3 दिनांक 25 सितंबर 2020 के द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये नगर पालिका परिषद् गढ़ाकोटा, जिला सागर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

स.क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्रमांक 03 कमला नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 02 गांधी वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 04. टैगोर वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 12 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	07	(1) वार्ड क्रमांक 13. महाराणा प्रताप वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 19. सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 20. पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 21. राजा मर्दनसिंह जूदेव वार्ड (5) वार्ड क्रमांक 22. रानी आवंतीबाई वार्ड (6) वार्ड क्रमांक 23. अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड (7) वार्ड क्रमांक 01. जवाहर वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 04. टैगोर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 02. गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्रमांक 19. सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 21. राजा मर्दनसिंह जूदेव वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 22. रानी आवंतीबाई वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 23 अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिये उक्त (सरल 4, 5 व 6) के अलावा आरक्षित वार्ड	06	(1) वार्ड क्रमांक 07. भगत सिंह वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 10. शिवाजी वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 11. सुभाष वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 15. किला वार्ड (5) वार्ड क्रमांक 17. साबूलाल वार्ड (6) वार्ड क्रमांक 18. आजाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्रमांक एफ 1-154-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 74-एफ 1-154-2020-अठारह-3, दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 8th June 2022

(Revised Notification)

Not-No-74--F1-154/2020/18-3 In exercise of the Powers conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Castes and Women) of Rule 1994 the Reservation of ward for Nagar Palika Parishad Garhakota, District Sagar was published vide notification No 143-F-01-154-2020 Eighteenth-3 Date 25 Sep 2020.

In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) 278/2022, the notification as above, with respect to reservation of wards of Nagar Palika Parishad Garhakota, Dist. Sagar is published as under:-

No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	04	(1) Ward No.03. Kamla Nehru ward (2) Ward No.02. Gandhi Ward (3) Ward No.04. Taigore ward (4) Ward No. 12. Ambedkar ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for Other Backward Castes	07	(1) Ward No.13. Maharana Pratap ward (2) Ward No.19. Sardar Vallabh bhai Patel Ward (3) Ward No. 20. Pt. Deendayal Upadhyay Ward (4) Ward No.21. Raja Mardan Singh Judeo Ward (5) Ward No.22. Rani Avanti Bai Ward (6) Ward No. 23. Atal Bihari Vajpayee ward (7) Ward No.01. Jawahar Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 04. Taigore ward (2) Ward No. 02. Gandhi Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil

6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	04	(1) Ward No. 19. Sardar Vallabh bhai Patel Ward (2) Ward No.21. Raja Mardan Singh Judeo Ward (3) Ward No.22. Rani Avanti Bai Ward (4) Ward No.23. Atal Bihari Vajpayee ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	06	(1) Ward No.07. Bhagat Singh ward (2) Ward No.10. Shivaji ward (3) Ward No.11. Subhash Ward (4) Ward No.15. Kila Ward (5) Ward No.17. Sabulal ward (6) Ward No.18. Azad Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

अधि.क्र.-7/ एफ 1-420/2020/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद सुरखी, जिला सागर के लिये आरक्षित वार्डों की अधिसूचना क्रमांक 468 एफ-01-420-2020 अठारह-3 भोपाल दिनांक 10.12.2020 के द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये नगर परिषद सुरखी, जिला सागर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

स.क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 01. महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 05. अब्दुल कलाम वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 09. अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 11. अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्रमांक 10. शिवाजी वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 08. रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 02. चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 0101. महात्मा गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 09. अम्बेडकर वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 08. रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 02. चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
7	आरक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिये उक्त (सरल 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्रमांक 06. नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 12. अवंतीबाई वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 04. महाराणा प्रताप वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 15. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्रमांक एफ 1-420-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 74-एफ 1-420-2020-अठारह-3, दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 8th June 2022
(Revised Notification)

Not-No 74 F1- 420/2020/18-3- In exercise of the Powers conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Castes and Women) of Rule 1994 the Reservation of ward for Nagar Parishad Surkhi, District Sagar was published vide notification No. 468 F-01-420-2020-18-3 Dated 10-12-2020.

In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) 278/2022, the notification as above, with respect to reservation of wards of Nagar Parishad Surkhi, Dist. Sagar is published as under:-

No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	(1) Ward No 01. Mahatma Gandhi Ward (2) Ward No 05. Abdul Kalam Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	02	(1) Ward No 09. Ambedkar Ward (2) Ward No 11. Atal Bihari Vajpayee Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Castes	03	(1) Ward No 10. Shivaji Ward (2) Ward No 08. Ravindranath Tagore Ward (3) Ward No 02. Chandrshekhkar Azad Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	01	(1) Ward No 01. Mahatma Gandhi Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	01	(1) Ward No 09. Ambedkar Ward
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No 08. Ravindranath Tagore Ward (2) Ward No 02. Chandrshekhkar Azad Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 & 6) Women	04	(1) Ward No 06. Nehru Ward (2) Ward No 12. Avantibai Ward (3) Ward No 04. Maharana Pratap Ward (4) Ward No 15. Shyamaprasad Mukherjee ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022
(संशोधित अधिसूचना)

अधि.क्र. 74 एफ 1-404/2020/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद मालथौन, जिला सागर के लिये आरक्षित वार्डों की अधिसूचना क्रमांक 446-एफ-404-2020-अठारह-3 दिनांक 28 नवंबर 2020 के द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये नगर परिषद मालथौन, जिला सागर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

स.क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 08. लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 07. भगत सिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 13. डॉ. हरिसिंह गौर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 02. चंद्रशेखर आजाद वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्रमांक 01. महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 06. जवाहरलाल नेहरू वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 11. अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 08. लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 13. डॉ. हरिसिंह गौर वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 11. अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 01. महात्मा गांधी वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिये उक्त सरल 4, 5 व 6 के अलावा आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्रमांक 03. अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 05. महाराणा प्रताप वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 12. रानी अवंती बाई वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 09. रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्रमांक एफ 1-404-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 74-एफ 1-404-2020-अठारह-3, दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 8th June 2022

(Revised Notification)

Not-No-~~74~~-F1-404/2020/18-3- In exercise of the Powers conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Castes and Women) of Rule 1994 the Reservation of ward for Nagar Parishad Malthone, District Sagar was published vide notification No. 446-F-1-404-2020 18-3 Dated 28 Nov 2020

In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) 278/2022, the notification as above, with respect to reservation of wards of Nagar Parishad Malthone Dist. Sagar is published as under:-

No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	(1) Ward No 08. Lal Bahadur Shastri ward (1) Ward No 07. Bhagat Singh Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	02	(1) Ward No 13. Dr.Harisingh Gour Ward (2) Ward No 02. Chandrashekhar Azad Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Castes	03	(1) Ward No 01. Mahatma Gandhi Ward (2) Ward No 06. Jawaharlal Nehru Ward (3) Ward No 11. Atal Bihari Vajpayee Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	01	(1) Ward No 08. Lal Bahadur Shastri Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	01	(1) Ward No 13. Dr.Harisingh Gour Ward
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No 11. Atal Bihari Vajpayee Ward (2) Ward No 01. Mahatma Gandhi Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	04	(1) Ward No 03. Ambedkar Ward (2) Ward No 05. Maharana Pratap Ward (3) Ward No 12. Rani Avantibai Ward (4) Ward No 09. Ravindranath Tagore Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022
(संशोधित अधिसूचना)

अधि.क्र.-74 एफ 1-405/2020/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् बांदरी, जिला सागर के लिये आरक्षित वार्डों की अधिसूचना क्रमांक 447-एफ-1-405-2020-अठारह-3 दिनांक 28 नवंबर 2020 के द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये नगर परिषद् बांदरी, जिला सागर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

स.क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्रमांक 11. डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 01. महाराणा प्रताप वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 05. अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 06. वीरांगना रानी दुर्गावती वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 08. सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 15. वीरांगना रानी अवंतिबाई वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 02. वीर शिवाजी वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 05. अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 11. डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 08. सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 02. वीर शिवाजी वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिये उक्त सरल 4, 5 व 6 के अलावा आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्रमांक 13. आचार्य विद्यासागर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 12. रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 03. महात्मा गांधी वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 14. ए.पी.जे अब्दुल कलाम वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्रमांक एफ 1-405-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 74-एफ 1-405-2020-अठारह-3, दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 8th June 2022

(Revised Notification)

Not-No-~~74~~-F1-405/2020/18-3- In exercise of the Powers conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Castes and Women) of Rule 1994 the Reservation of ward for Nagar Parishad Bandri, District Sagar was published vide notification No. 447-F-1-405-2020-18-3 Dated 28 Nov 2020.

In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) 278/2022, the notification as above, with respect to reservation of wards of Nagar Parishad Bandri Dist. Sagar is published as under:-

No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	03	(1) Ward No 11. Dr. Bheemrao Ambedkar ward (2) Ward No 01. Maharana Pratap Ward (3) Ward No 05. Atal Bihari Vajpeyi ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	02	(1) Ward No 06. Veerangana Rani Durgavati Ward (2) Ward No 08. Sardar vallabh Bhai patel Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Castes	02	(1) Ward No 15. Veerangana Rani Avanti Bai Ward (2) Ward No 02. Veer Shivaji Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No 05. Atal Bihari Vajpayee Ward (2) Ward No 11. Dr. Bheemrao Ambedkar Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	01	(1) Ward No 08. Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	01	(1) Ward No 02. Veer Shivaji Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 & 6) Women	04	(1) Ward No 13. Acharya Vidyasagar Ward (2) Ward No 12. Rabindranath Tagore Ward (3) Ward No 03. Mahatma Gandhi Ward (4) Ward No 14. A.P.J. Abdul kalam ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

अधि.क्र.-74 एफ 1-30/2022/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर परिषद बरोदियाकलां, जिला सागर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

स.क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्रमांक 04. डॉ. अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 14. संत रविदास वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 05. रानी अवंतीबाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 11. सबरी वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 12. बिरसामुंडा वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 07. वैष्णोदेवी मंदिर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 08. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 04. डॉ. अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 05. रानी अवंतीबाई वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 11. सबरी वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 08. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिये उक्त (सरल 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्रमांक 06. चंद्रशेखर आजाद वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 03. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 01. छत्रपति शिवाजी वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 13. सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्रमांक एफ 1-30-2022-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 74-एफ 1-30-2022-अठारह-3, दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 8th June 2022

(Revised Notification)

Not-No-~~74~~-F1-30/2022/18-3- In exercise of the Powers conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Castes and Women) of Rule 1994 and In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) 278/2022, reservation of wards of Nagar Parishad Barodiyakala, Dist. Sagar is published as under:-

No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	03	(1) Ward No 04. Dr. Ambedkar ward (2) Ward No 14. Sant Ravidas ward (3) Ward No 05. Rani Avanti bai ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	02	(1) Ward No 11. Sabri ward (2) Ward No 12. Birsamunda ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Castes	02	(1) Ward No 07. Vaishno devi mandir ward (2) Ward No 08. Dr. A.P.j. Abdul kalam ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No 04. Dr. Ambedkar ward (2) Ward No 05. Rani Avanti bai ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	01	(1) Ward No 11. Sabri ward
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	01	(1) Ward No 08. Dr. A.P.j. Abdul kalam ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	04	(1) Ward No 06. Chandra Shekhar Azad ward (2) Ward No 03. Deendayal Upadhyay ward (3) Ward No 01. Chhatrapati Shivaji ward (4) Ward No 13. Sardar vallabh bhai patel ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.